निविदा दस्तावेज की विषय वस्तु

क्रम सं.	विषय वस्तु का वर्णन
1.	निविदा सूचना
2.	क. कार्य का विस्तार और निविदाकार के लिए साधारण अनुदेश
3.	ख. निबंधन और शर्ते
4.	ग. शास्ति
5.	घ. तकनीकी अर्हताएं मानदंड
6.	ङ. तीन वर्ष के लिए मुख्य संविदा के ब्यौरे
7.	च. तकनीकी बोली के लिए प्रोफार्मा
8.	छ. वित्तीय बोली के लिए प्रोफार्मा
9.	झ. संदाय के निबंधन

फा.सं.1/26(4)2010-रा.म.आ.(प्रशा.)-पीटी राष्ट्रीय महिला आयोग भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र नई दिल्ली - 110025

तारीख: सितंबर, 2017

निविदा सूचना

विषयः डीएलवाई टैक्सी को किराये पर लेने के लिए निविदा सूचना- राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली में टैक्सी सेवा प्रदान करने के लिए बोली।

राष्ट्रीय महिला आयोग को नई दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उपयोग के लिए मासिक आधार पर किराये पर कार की सेवा प्रदान करने के लिए ख्यातिप्राप्त, अनुभवी और वित्तीय रूप से सुदृढ़ टैक्सी सेवा प्रदाताओं से दो बोली पद्धति अर्थात्- (भाग-1 तकनीकी बोली और भाग-2 वित्तीय बोली) के अधीन कोटेशन आमंत्रित किए जाते है। आरंभ में यह संविदा 12 (बारह) मास की अवधि के लिए होगी जिसे सफल बोलीदाता के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के पश्चात् और राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रशासनिक सुविधा और अपेक्षा के आधार पर और आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनन्तिम रूप से अपेक्षित यानों की संख्या नियमित आधार पर 3 है जिसे इस विभाग की आवश्यकताओं के आधार पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

- 2. जिस फॉर्मेट में तकनीकी और वित्तीय बोली प्रस्तुत की जानी है वे संलग्न है। दरें भारतीय रूपयों में कोट की जाएंगी। वेतन और लेखा अधिकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग, के पक्ष में मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर के चेक द्वारा 40,000 (केवल चालीस हजार रूपये), जो नई दिल्ली में संदेय होंगे, अग्रिम जमा के रूप में मूल रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।
- 3. बोली दस्तावेजों के साथ विहित/घोषित पात्रता मानदंड के समर्थन में सभी अपेक्षित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये जाएंगे। बोलीदाताओं को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने हित में इस निविदा सूचना के साथ संलग्न प्रोफार्मा में उपदर्शित विनिर्देशों के अनुसार अपनी बोली के साथ वांछित कागजपत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी बोलियों को गैर-उत्तरदायी घोषित किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों की सूची संलग्न है।

- 4. बोली को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय 11 अक्तूबर, 2017 (3 बजे अपराह तक) है। प्रस्तुत कि गई बोली को उसी दिन सम्यक् रूप से निविदा खोलने वाली समिति द्वारा 4 बजे अपराह में खोला जाएगा। फर्मों/अभिकरणों/कंपनियों के प्रतिनिधि जो निविदा खोलने की प्रक्रिया को देखने के लिए मौजूद रहना चाहते है उनको ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। तकनीकी बोली का मूल्यांकन ऐसी निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा जिसका गठन इस कार्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय में तारीख 10 अक्तूबर, 2017 को 4 बजे अपराह में बोली से पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी। हितबद्व बोलीदाता इसमें भाग ले सकते है।
- 5. राष्ट्रीय महिला आयोग में के सक्षम प्राधिकारी के पास यह अधिकार आरक्षित है कि वह इसके लिए कोई कारण बताए बिना निविदा दस्तावेजों में अर्न्तविष्ट निबंधनों और शर्तों में से किसी को भी किसी समय/प्रक्रम पर छूट दे सकता है/संशोधन कर सकता है या वापस ले सकता है या निविदा प्रक्रिया को रद्द कर सकता है। कोटेशन प्रस्तुत करने के पश्चात् कोई प्रछताछ नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रक्रम पर किसी बोलीदाता द्वारा बोली को वापस ली जाती है तब इस संबंध में कोई और आगे सूचना दिए बिना/पत्रव्यवहार किए बिना उसकी अग्रिम जमा समपहृत हो जाएगी।
- 6. निविदा के निबंधनों और शर्तों के संबंध निविदा दस्तावेज की विषय वस्तु के बिन्दु ख पर सम्यक् रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है।
- 7. सम्पूर्ण निविदा दस्तावेज सेन्ट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (http://eprocure.gov.in) की वेबसाइट या राष्ट्रीय महिला आयोग www.ncw.nic.in की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। इस निविदा से संबंधित शुद्धिपत्र के किसी मुद्दे के संबंध में जानकारी ऊपर निर्दिष्ट वेब साइटों पर उपलब्ध होगी।

(आर. सी. आहूजा) अवर सचिव टेलीफोन नं. 011-26944890

क. बोलीदाताओं के लिए कार्य का विस्तार और साधारण अनुदेश

- 1. राष्ट्रीय महिला आयोग, भूखंड सं. 21, संस्थानिक क्षेत्र, जसोला, नई दिल्ली, में अवस्थित है और इसे सुस्थापित और वित्तीय रूप से सुदृढ़ टैक्सी सेवा प्रदाताओं (जिसे इसमें इसके पश्चात्" सेवा प्रदाता कहा गया है) द्वारा दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर और कभी-कभी इस से सटे हुए क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए मासिक आधार पर किराये पर टैक्सी सेवा प्रदान करना अपेक्षित है।
- 2. संविदा प्रदान करने के पत्र की तारीख से 12 (बारह) मास की अविध के लिए यह संविदा विधिमान्य रहेगी और सफल बोलीदाता के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के पश्चात् सक्षम अधिकारी के विनिश्चय के अनुसार इस अविध को बढ़ाया जा सकता है।
- 3. बोलीदाता निविदा दस्तावेजों के साथ दिए गए प्रोफोर्मा के साथ अपनी तकनीकी और वित्तीय बोली प्रस्तुत करेंगे। दरें भारतीय रूपयों में कोट की जाएगी है। अग्रिम जमा के रूप में 40,000 रूपये (केवल चालीस हजार रूपये) का संदाय करने का वित्तीय लिखत मांगदेय/बैंकर के चेक द्वारा, जो नई दिल्ली में संदेय होगा, मूल रूप से वेतन और लेखा अधिकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग के पक्ष में प्रस्तुत किया जाएगा। अग्रिम जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 4. सफल बोलीदाता को 1,50,000 रूपये (केवल एक लाख पचास हजार रूपये) अभिकरण के नाम में साविध निक्षेप रसीद (एफडीआर) के रूप में कार्यनिष्पादन प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करने होगें और इसे संविदा की अविध के लिए वेतन और लेखा अधिकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली को बैंक गारंटी के रूप में आडमान किया जाएगा। यह कार्यनिष्पादन प्रतिभूति इस संविदा के समाप्त होने की तारीख से 60 दिन के परे की अविध तक विधिमान्य रहेगी। यदि आरंभिक अविध के परे इस संविदा को और आगे बढ़ाया जाता है तब सफल बोलीदाता द्वारा तदनुसार इस कार्यनिष्पादन प्रतिभूति का नवीकरण किया जाएगा।
- 5. सशर्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे सिरे से नामंजूर कर दिया जाएगा।
- 6. बोली में की सभी प्रविष्टियां पठनीय होगी और उन्हें स्पष्ट रूप से भरा जाएगा। यदि प्रस्तुत की जाने वाली सूचना के लिए स्थान अपर्याप्त है तब प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित एक अलग शीट संलग्न की जा सकती है। वित्तीय बोली प्ररूप में कोई ऊपरी लेखन या उसे विकृत करने की अनुज्ञा नहीं है। किसी भी दशा में बोली के किसी भी फॉर्मेट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ऐसी दशा में बोली को सरसरी तौर पर नामंजूर कर दिया जाएगा।

तथापि, तकनीकी बोली के आवेदन में यदि कोई काट-छाट की गई है तो उसे निविदा बोली पर हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा।

- 7. भागीदार फर्म की दशा में भागीदारी करार या स्टाम्प पेपर पर सभी भागीदारों द्वारा भागीदार करार के निष्पादन को स्वीकार करते हुए सभी भागीदारों द्वारा सम्यक् रूप से शपथ या प्रतिज्ञात करते हुए स्टाम्प पत्र पर सम्यक् रूप से नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित साधारण मुख्तारनामा प्रस्तुत किया जाएगा। फर्म के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जाएगी और इसके साथ में राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ बातचीत करने वाले प्राधिकृत भागीदार/प्राधिकृत अधिकारी का नाम भी होगा।
- 8. निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ और उपाबंधों पर बोलीदाता या प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा सेवा प्रदाता की मुद्रा के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- 9. बोलियों को, प्रतिनिधियों, यदि कोई है और जो निविदा को खोले जाने के समय उपस्थित रहना चाहते है, की मौजूदगी में आयोग के कार्यालय में अनुसूचित तारीख और समय (अर्थात् तारीख 11 अक्तूबर, 2017 को 4 बजे अपराह्न में), खोला जाएगा। बोली से पूर्व बैठक तारीख 10 अक्तूबर, 2017 को 4 बजे अपराह्न में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय में अर्न्तग्रस्त पद्धतियों पर विचार करने के लिए आयोजित की जाएगी।
- 10. केवल ऐसे बोलीदाताओं की वित्तीय बोली को खोला जाएगा जो तकनीकी बोली के प्रक्रम पर अहिंत पाए जाते है। यदि उसी दिन वित्तीय बोलियों को खोला नहीं जाता है तब वित्तीय बोली को खोलने के लिए अनुसूचित समय और स्थान की संसूचना केवल ऐसे बोली लगाने वाले अभिकरणों/फर्मों को दी जाएगी जो तकनीकी बोली की प्रक्रिया में अहिंत है।
- 11. बोली लगाने वाली फर्म को स्व-अनुप्रमाणित प्रमाणपत्र देना होगा कि उसे केन्द्रीय सरकार/विभाग/पब्लिक सेक्टर ईकाईयो/बैंकों द्वारा कालीसूची में नहीं डाला गया है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि बोली लगाने वाली फर्म ने मिथ्या जानकारी या तथ्य या तथ्यों को छिपाया है या दस्तावेजों आदि के साथ हेरा-फेरी की है तब ऐसी फर्म की अग्रिम जमा को समापहृत कर लिया जाएगा तथा बोलीदाता की तरफ से ऐसी किसी कार्यवाही के समर्थन में किसी भी प्रकार के प्रतिहेतु को ग्रहण नहीं किया जाएगा।

- 12. तकनीकी बोली को खोले जाने के पश्चात् बोली लगाने वाली किसी फर्म को उसकी बोलियों को वापस लेने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। यदि किसी फर्म का आशय तकनीकी बोली को खोलने के पश्चात् अपनी बोली वापस लेने का है तब उसके अग्रिम जमा को प्रतिसद्गत कर लिया जाएगा।
- 13. यदि संविदा प्रदान करने के पश्चात् कोई सफल बोलीदाता (एल 1) अपेक्षित संख्या में यानों और टैक्सियों की व्यवस्था करने में असफल रहता है तब उसकी संविदा रद्द कर दी जाएगी और इसके साथ उसकी कार्यनिष्पादन प्रतिभूति प्रतिसहत कर ली जाएगी तथा परिणामिक शास्तिक कार्रवाईयां, जैसेकि काली सूची में डालना और जो उचित समझी जाए, की जाएगी।

ख. निबंधन और शर्तें

- 1. संविदा प्रदान करने के पत्र की तारीख से 12 (बारह) मास की अविध के लिए यह संविदा विधिमान्य रहेगी और इसे ऐसी और अविध के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है जिसका विनिश्चय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा किंतु फर्म के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के पश्चात् 12 (बारह) मास से अधिक की अविध के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा।
- 2. राष्ट्रीय महिला आयोग में के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यनिष्पादन की सम्यक् समीक्षा करने के पश्चात् असमाधानप्रद सेवाओं के कारण संविदा बंद की जा सकती है। असमाधानप्रद सेवा से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सेवा प्रदाता द्वारा संविदात्मक बाधाताओं में से किसी बाध्यता का अननुपालन या पूरा न किया जाना भी सम्मिलित है और या निविदा/संविदा के निबंधनों और शर्तों में से किसी का खराब कार्यनिष्पादन और अतिक्रमण भी है तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के भारसाधक द्वारा लिखित में दी गई सूचना के अनुसार कमियों या त्रुटियों को ठीक करने में उसकी तरफ से असफल रहना भी है। यह उपबंध तब भी प्रभावी होगा जब सफल बोलीदाता या उसके नियोजन या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी चालक को किसी विधिविरूद्ध क्रियाकलाप में लगा पाया जाता है और जिसे किसी न्यायालय द्वारा साबित किया गया है या पुलिस प्राधिकारियों द्वारा उसे ऐसे किसी क्रियाकलाप में अभियुक्त पाया गया है।
- 3. इस करार के कारण सेवा प्रदाता द्वारा जिन चालकों की व्यवस्था की गई है उनसे राष्ट्रीय महिला आयोग का कोई संबंध नहीं है। सेवा प्रदाता का यह एकमात्र उत्तरदायित्व यह है कि वह अपने चालकों को वेतन और अन्य परिलब्धियों का संदाय करेगा और इस बाबत

इस विभाग द्वारा उसके चालकों की किसी शिकायत को ग्रहण नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा कोई चालक कोई न्यूसेंस करता है जो कि इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी की राय में इस कार्यालय के विश्वास के लायक नहीं है तब सेवा प्रदाता से यह अनुरोध किया जाएगा कि वह इस कार्यालय से उस चालक को हटा लें।

- 4. इस करार को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा एक मास की लिखित सूचना देकर पहले भी समाप्त किया जा सकता है और इसके लिए उसे कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं है और सेवा प्रदाता की ओर से तीन मास की सूचना देकर करार को समाप्त किया जा सकता है और इस संबंध में सेवा प्रदाता पर सक्षम प्राधिकारी का विनिश्चय आबद्धकर होगा। ऐसे विनिश्चय के कारण हानि/राजस्व के प्रतिकर के लिए किसी दावे को ग्रहण नहीं किया जाएगा।
- 5. सफल बोलीदाता द्वारा जिन यानों को प्रदान किया जाएगा वे सभी वर्ष 2016 के या नए होंगे और ठेकेदार/अभिकरण के स्वामित्व में होंगे तथा यांत्रिक रूप से मजबूत होंगे तथा उनकी कार की भीतरी सज्जा सुन्दर होगी और संविदा में यथापरिभाषित अन्य आवश्यक उपसाधन लगे होंगे।
- 6. जिन दरों को कोट किया गया है उसके अंतर्गत सभी कुछ आता है और कोई अतिरिक्त अन्य प्रभार संदत्त नहीं होगा सिवाय इसके कि पार्किंग प्रभार/टोल सड़क प्रभार शासकीय इयूटी के लिए मूल पार्किंग/टोल कूपन को प्रस्तुत करने के पश्चात् संदत्त किया जाएगा।
- 7. सेवाएं 24x7 आधार पर की जाएगी ।
- 8. "यान चलने" और "ड्यूटी के घंटे" के प्रयोजन के लिए मील-दूरी की गणना राष्ट्रीय मिहला आयोग/ड्यूटी के स्थान से (यदि पूर्व दिवस पर ड्यूटी दी गई है या ड्यूटी के स्थान की बाबत पहले से ही कोई स्थायी आदेश है) की जाएगी।
- 9. लंच/जलपान या यान में ईंधन भराने के लिए चालकों को कोई मील-दूरी अनुज्ञात नहीं होगी।
- 10. कई बार हो सकता है कि यानों के चलने की औसत एक मास में विहित किए गए किलोमीटर की सीमा से अधिक हो जाए। तथापि, मासिक आधार पर किराए पर लिए गए किसी यान के किलोमीटर की संख्या की संगणना केवल मासिक आधार पर की

- जाएगी (अर्थात् इस दस्तावेज में दी गई मासिक अधिकतम सीमा के साथ तुलना के आधार पर)।
- 11. फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि ड्यूटी के लिए यान को भेजने से पहले प्रदान किए जा रहे यान की ईंधन टंकी ईंधन से पूरी भरी हुई है।
- 12. फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि सभी चालकों के पास चालू मोबाइल कनेक्शन हो जिससे कि जब कभी आवश्यक हो उनसे संपर्क किया जा सके।
- 13. फर्म द्वारा प्रदान किए गए चालक शिष्ट, शालीन और विनम्र होने चाहिए विशेष रूप से उस समय जब उन्हें इयूटी के लिए अधिकारियों के साथ सहबद्ध किया जाए। चालक को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए और विधिमान्य यान चालन अनुज्ञाप्ति और नाम बैज के साथ समयनिष्ठ होना चाहिए; उसके पास साफ-सुथरी वर्दी होनी चाहिए। चालक इयूटी के समय धूम्रपान या नशा नहीं करेगा तथा खाली समय के दौरान ताश नहीं खेलेगा।
- 14. फर्म द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रदान किए गए यानों के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात् नौएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव आदि में आने जाने के लिए सभी आवश्यक परमिट होने चाहिए। प्रत्येक कार में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की नक्शा पुस्तिका होनी चाहिए।
- 15. सेवा प्रदाता राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रदान किए गए यानों का विनिर्माता द्वारा जारी किए स्वामी के मैनुअल के अनुसार यांत्रिक रूप से सुदृण स्थिति में बनाए रखेगा जिससे कि हर समय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस कार्यालय के पास, यदि इसकी मांग की जाती है इस बाबत दस्तावेजी साक्ष्य मांगने का अधिकार आरक्षित है। यानों की सर्विस/अनुरक्षण स्वामी के मैनुअल के अनुसार किया जाएगा। यदि इस मामले में किसी तकनीकी मुद्दे पर कभी विवाद होता है तो यह कार्यालय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की कर्मशाला में अनुपालन के लिए यान की जांच करा सकता है और यदि आवश्यक हो तो इस कार्यालय द्वारा यह लागत वहन की जाएगी।
- 16. किसी यान के सामयिक अनुरक्षण के दौरान, ठेकेदार/सेवा प्रदाता उसी मेक और वर्ष के किसी अतिरिक्त यान की व्यवस्था करेगा। किसी चालक के छुट्टी पर/किसी कारण से

या अन्यथा ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण उपरोक्त प्रकार की व्यवस्था की जाएगी।

- 17. इस प्रकार किराए पर लिए गए प्रत्येक यान में प्राथमिक चिकित्सा बक्सा और अनिवार्य अतिरिक्त कल पुर्जे अर्थात् प्रसाधन किट, स्पार्क प्लग, बेल्ट, अग्नि शामक, टार्च, छाता आदि होंगे।
- 18. ठेकेदार/सेवा प्रदाता, आय-कर, कर्मचारी राज्य बीमा, भविष्य निधि, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादक) अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी, श्रम विधियों के अधीन बाध्यताओं का अनुपालन करने और इस प्रकार सेवा प्रदाता से किराए पर लिए गए यानों में से किसी यान द्वारा दुर्घटना आदि कारित करने से उद्भूत होने वाली नुकसानी के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अतिरिक्त फर्म राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र/दिल्ली में प्रवृत्त अधिनियम/आदेश के विस्तृत उपबंधों के अधीन विद्यमान दर के अनुसार चालकों को सीधे समय पर मजदूरी का संदाय करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। यदि चालकों की मजदूरी या उनकी सेवा शर्तों से संबंधित विषय में चालक और फर्म के बीच कोई विवाद उद्भूत होता है तो ठेकेदार और उसके द्वारा नियुक्त किए गए चालकों के बीच सौहार्दपूर्ण रूप से परिनिर्धारण किया जाएगा। किसी भी दशा में राष्ट्रीय महिला आयोग किसी विवाद में पक्षकार नहीं होगा।
- 19. ठेकेदार/सेवा प्रदाता सभी कानूनी/विधिक बाध्यताओं, जो कि ठेकेदार/सेवा प्रदाता की तरफ से संविदात्मक बाध्यता है, का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा और यदि इस विभाग के ध्यान में इनके किसी भंग को लाया जाता है तो केवल इसी आधार पर इस कार्यालय द्वारा उपयुक्त अविध के लिए सूचना देने के पश्चात् इस संविदा को समाप्त किया जा सकता है।
- 20. ठेकेदार/सेवा प्रदाता सड़क-कर, सेवा-कर आदि का असंदाय करने के कारण उद्भूत होने वाले सभी मुकदमों के लिए और समुचित प्रधिकारी को अन्य देय तथा चालकों और दुर्घटनाओं और विभिन्न अन्य कारणों आदि के कारण अन्य अर्न्तग्रस्त पक्षकारों की मृत्यु/क्षतियों/नुकसानी से उद्भूत होने वाले प्रतिकर का संदाय करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
- 21. सेवा प्रदाता इस संविदा से उद्भूत होने वाली सभी कानूनी बाध्यताओं का पालन करने का उत्तरदायी होगा।

- 22. इयूटी पर्चियों और उपयोगकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लाग बुक के साथ किसी मास के लिए यान को प्रदाय करने के बिल आगामी मास के प्रथम सप्ताह में इन बिलों का संदाय करने के लिए भारसाधक, राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रस्तुत किए जाएंगे।
- 23. यदि कोई अधिकारी इ्यूटी के लिए किसी कार की छत पर कैरियर चाहता है तो फर्म ऐसी कार पर कैरियर लगवाने की व्यवस्था करेगा।
- किसी प्रकार के विवाद की दशा में फर्म सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय पालन करेगा। 24. यदि विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है तब उसे माध्यस्थम और स्लह अधिनियम, 1996 के अधीन एकमात्र मध्यस्थ को निर्दिष्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस संविदा के कारण कोई संविवाद या विवाद उद्भुत होता है तो उसे संयुक्त सचिव या उनके द्वारा नामनिर्देशित किसी अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशित ऐसे अधिकारी द्वारा माध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट करने के संबंध में वर्जन नहीं होगा बेशक ऐसे अधिकारी ने राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली के एक कर्मचारी के रूप में इस मामले के संबंध में कार्यवाही की हो या उस पर अपनी राय व्यक्त की हो। यदि ऐसा मध्यस्थ, जिसे मूल रूप से मामले को निर्दिष्ट किया गया है, स्थानांतरण या अपना पद रिक्त कर देता है या किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ है तब इस विभाग में साधारण प्रशासन का कार्य कर रहे संयुक्त सचिव के स्तर का अधिकारी एक और व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए सक्षम होगा और ऐसा मध्यस्थ अपने पूर्वाधिकारी द्वारा छोड़े गए प्रक्रम से निर्देश पर कार्यवाही करेगा। संयुक्त सचिव द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा। संयुक्त सचिव या उनके द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और पक्षकार/पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। माध्यस्थम कार्यवाहियां दिल्ली/नई दिल्ली में सम्चित स्थान पर होगी। माध्यस्थम के लिए दावे को फाइल करने की परिसीमा संविदा अवधि के समाप्त होने से 180 दिन है और यदि इस अवधि के भीतर कोई दावा फाइल नहीं किया जाता है तो यह उपधारणा की जाएगी कोई दावा नहीं है। विवादों के परिनिर्धारण का स्थान दिल्ली होगा। न्यायालय में विवादों का परिनिर्धारण करने के प्रयोजन के लिए यह दिल्ली में के न्यायालयों की अधिकारिता के अधीन होगा।

- 25. सेवा प्रदाता मोटर यान अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में सम्यक् रूप से यानों को बीमाकृत रखने के लिए उत्तरदायी होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किराए पर लिए गए प्रत्येक यान के लिए सेवा-प्रदाता प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाणपत्र (पी.यू.सी.) प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- 26. सेवा-प्रदाता यान की बाबत विधिक उपबंधों का अनुपालन करने के लिए और किसी कारण नुकसान के लिए विभाग की क्षतिपूर्ति के लिए भी उत्तरदायी होगा।
- 27. यानों में निम्नलिखित अनिवार्य अतिरिक्त उपसाधन/उपयोज्यताएं लगी होगी/व्यवस्था की जाएगी।
 - 1. साफ-सुथरे सीट कवर
 - 2. क्वालिटी रेडियो म्यूजिक सिस्टम
 - 3. पढ़ने का लैम्प
 - 4. ट्रिथ्यू पेपर बाक्स
 - 5. कार परफ्यूम
 - 6. मोबाइल चार्जर
 - 7. सीट बेल्ट (आगे/पीछे)
 - 8. बरसात के मौसम के दौरान छाता
 - 9. प्राथमिक चिकित्सा किट
 - 10. अग्निशामक
- 28. फर्म के पास पर्याप्त संख्या में चालक होंगे और ऐसे चालकों के पास दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मोटर गाड़ी चलाने का अनुभव होना चाहिए। फर्म चालकों से संबंधित पूरी विशिष्टियां और यानों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र (आर.सी) की प्रति उपलब्ध कराएगी।
- 29. फर्म के मुद्रित लैटर हैड पर राष्ट्रीय महिला आयोग के भारसाधक को एक घोषणा प्रदान की जाएगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कथन किया जाएगा कि प्रदान किए गए चालकों का चिरत्र अच्छा है और सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली पुलिस द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित किया गया है तथा उनके पास विधिमान्य मोटर गाड़ी चलाने की अनुज्ञित है और दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सड़कों की उन्हें अच्छी जानकारी है।

- 30. फर्म के पास पर्याप्त संख्या में टेलीफोन कनेक्शन होने चाहिए जिससे की उनसे कभी भी संपर्क किया जा सके और इन नम्बरों को राष्ट्रीय महिला आयोग के भारसाधक को दिया जा सकता है।
- 31. फर्म के पास 24x7 तक बुकिंग करने की व्यवस्था होनी चाहिए ।
- 32. सरकारी अनुदेशों के अनुसार एक फॉर्मेट में लाग बुक में चालकों द्वारा प्रत्येक यान का समय और मील दूरी को उपदर्शित करते हुए दैनिक अभिलेख बनाए रखा जाएगा और संवीक्षा के लिए नियमित रूप से राष्ट्रीय महिला आयोग में संबंधित अधिकारी को लागबुक प्रस्तुत की जाएगी।
- 33. सफल फर्म/अभिकरण राष्ट्रीय महिला आयोग या दिल्ली में इसके सहबद्ध कार्यालयों को प्रदान की गई या सम्बद्ध टैक्सियों में से किसी टैक्सी को वाणिज्य प्रयोजन के लिए तैनात नहीं करेगा।
- 34. अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्रदाय की गई कार का ओडोमीटर उचित रूप से सीलबंद है जिससे कि की गई यात्रा की दूरी को बढ़ाने की दृष्टि से मीटर के साथ छेड़छाड़ न की जा सके। इस संबंध में उन्हें सक्षम मोटर यान प्राधिकारी से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा और उसे लाग बुक के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
- 35. इस विभाग का प्राधिकृत अधिकारी किसी कर्मशाला से प्रदाय किया गया कार के ओडोमीटर कि अचानक जांच कर सकता है और इसकी लागत को अभिकरण द्वारा वहन किया जाएगा।
- 36. तकनीकी बोली में राष्ट्रीय महिला आयोग को किराए पर यान प्रदान करने के अपने आशय की घोषणा सफल बोलीदाता अपने स्वामित्व के अधीन ऐसे यानों की संख्या की घोषणा करेगा और यह सफल बोलीदाता के लिए एक संविदात्मक बाध्यता है और यदि इसका अतिक्रमण किया जाता है तो उसे शास्ति खंड के अधीन एक अपराध माना जाएगा (क्रम सं. 8 ऐसे प्रत्येक यान के लिए लागू होगी, जिसका संबंध प्रत्येक एकल दिवस के लिए सेवा के लिए किराए पर दिये गए यान से है जो सफल बोलीदाता के स्वामित्व में नहीं है)।
- 37. फर्म द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रदान किया गया चालक और यान अनुज्ञा के बिना बदला नहीं जाएगा ।

ग. शास्ति संबंधी खंड

संविदा के निबंधनों और शर्तों के अतिक्रमण के लिए निम्नलिखित रीति में शास्ति उद्गृहित की जाएगी: (रकम रूपयों में)

क्रम सं.	अ तिक्रमण	प्रति कार रकम	प्रति मास	शास्ति की	प्रतिदिन	टिप्पणियां
		प्रथम बार	दूसरी बार	तीसरी बार	काटी जाने वाली रकम	
1.	कार में ए.सी. का काम न करना				500/-	
2.	यान के खराब होने के एक घंटे के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था करने में असफलता	500/-	1000/-	2000/-		उस दिन के किराया प्रभार का संदाय भी नहीं किया जाएगा
3.	यान के मीटर से छेड़छाड़	1000/-	2000/-	3000/-		सक्षम प्राधिकारी को संविदा के समाप्त करने के विवेकाधिकार प्राप्त है, जिसमें कार्य निष्पादन प्रतिभृति का जब्त किया जाना/ फर्म को काली सूची में डालना भी है
4.	लॉग पुस्तिका में अनियमितताएं जैसे अधिलेखन, जाली प्रविष्टियां (यह विहित प्ररूप में रखी जानी हैं)	1000/-	2000/-	3000/-		यथोक्त
5.	निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए प्राइवेट/ वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए सहबद्ध करने संबंधी उपयोग	5000/-				ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए
6.	राष्ट्रीय महिला आयोग और उस अधिकारी को, जिसके साथ यान सहबद्ध है, पूर्व सूचना दिए बिना चालकको बदलना	500/-				प्रत्येक अवसर पर
7.	चालक/यान द्वारा कर्तव्य के लिए रिपोर्ट करने में विलंब (30 मिनट से अधिक)	500/-	1000/-	2000/-		उस दिन के किराया प्रभार का संदाय भी नहीं किया जाएगा
8.	किसी अन्य निबंधन और शर्त का अननुपालन	1,500/-	2000/-	3000/-		प्रति यान प्रत्येक उल्लंघन के लिए

घ. तकनीकी बोली अर्हता मानदंड

बोलीकर्ता अभिकरण/फर्म को खंड ङ में विस्तारपूर्वक वर्णित बोली के तकनीकी मूल्यांकन के लिए पात्र होने की दृष्टि से निम्नलिखित तकनीकी विनिर्देशों को अवश्य पूरा करना चाहिए।

- i. सेवा प्रदाता/बोलीकर्ता का कार्यालय दिल्ली/नई दिल्ली में अवस्थित होना चाहिए ओर दिल्ली/नई दिल्ली में कार्यालय के पते का सबूत प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- ii. भागीदारी फर्म की दशा में, नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित भागीदारी करार या साधारण मुख्तारनामे की एक प्रति स्टाम्प पेपर पर दी जानी चाहिए, जो सभी भागीदारों द्वारा भागीदारी करार या साधारण मुख्तारनामे के निष्पादन को स्वीकार करते हुए सम्यक् रूप से शपथित या पुष्टीकृत हो।
- iii. सेवा प्रदाता के पास सरकारी विभागों/लोक सेक्टर कंपनियों/बैंको/केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों को भाड़े वाली टैक्सी सेवा प्रदान करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/लोक सेक्टर उपक्रमों/बैंक को पिछले तीन वर्षों में टैक्सी सेवाएं प्रदान करने से संबंधित कम से कम एक संविदा का सबूत, प्रदाय आदेश की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित संलग्न किया जाना चाहिए।
- iv. सेवा प्रदाता का पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कम से कम 15 लाख रूपए का वार्षिक आवर्त (बिल की गई रकम) होना चाहिए। आवर्त विवरण की एक प्रति, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित हो, निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न होनी चाहिए और पिछले दो वर्षों की आयकर विवरणी की प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- v. सेवा प्रदाता का अपना बैंक खाता होना चाहिए। बैंक द्वारा पिछले दो वर्षे के लिए जारी किए गए खाता बनाए रखने संबंधी प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी।
- vi. बोली लगाने वाली फर्म के पेन कार्ड की स्वतः प्रमाणित प्रति बोली दस्तावेज़ के साथ संलग्न की जाएगी।
- vii. सेवा प्रदाता जी.एस.टी. के पास रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। बोली दस्तावेज़ के साथ रजिस्ट्रीकरण की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी।
- viii. इस संबंध में स्वतः प्रमाणपत्र कि फर्म को केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग/मंत्रालय/लोक सेक्टर उपक्रम/बैंक आदि ने काली सूची में नहीं डाला है, संलग्न किया जाना चाहिए।
- ix. राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रदान किए गए यान केवल सी.एन.जी. ईंधन पर चालित होने चाहिए और वे वाणिज्यिक नंबर प्लेट सहित संविदाकार/फर्म के स्वामित्व में होने चाहिए और इस संबंध में एक स्वतः अधिप्रमाणित प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा।

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/लोक सेक्टर उपक्रमों/ख्याति प्राप्त प्राइवेट फर्मों के साथ की गई उन प्रमुख संविदाओं के, जिन्हें निविदाकार अभिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान टैक्सी सेवाएं किराए पर प्रदान करने के लिए किया गया है, (पिछले तीन वर्ष के कार्य आबंटन की अधिप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जा सकती है) निम्नलिखित प्ररूप में बयौरे:

<u>ж</u> п	ग्राहक के पते, टेलीफोन और	संविदा की रकम	गंतिन	की अवधि
क्रम			सापदा	पग जपाप
सं.	फैक्स नंबर सहित ब्यौरे	(प्रति वर्ष लाख		_
		रूपयों में)	से	तक
1.				
2.				
۷.				
3.				

(यदि दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो एक पृथक् शीट संलग्न की जा सकती है)

च. तकनीकी बोली के लिए प्रोफार्मा

	<u>मानदं</u>	5
1.	अभिकरण का नाम	
2.	समुत्थान की प्रकृति (अर्थात् एकल स्वत्वधारी या	
	भागीदारी फर्म या कंपनी या सरकारी विभाग या लोक	
	सेक्टर संगठन)	
3.	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा पता	
	टेलीफोन नं.	
	फैक्स नं.	
	ईमेल पता	
4.	प्रचालन/दिल्ली में शाखा कार्यालय का पूरा पता	
	टेलीफोन नं.	
	फैक्स नं.	
	ईमेल पता	
5.	अभिकरण का बैंक, पूरे पते सहित (पिछले तीन वर्ष	
	तक खाता चलाने का बैंक का प्रमाणपत्र)	
	बैंक का टेलीफोन नं.	
6.	अभिकरण/फर्म का रजिस्ट्रीकरण सं.	रजिस्ट्रीकरण की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें
7.	पेन नं.	पेन कार्ड की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें
8.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रीकरण नं.	रजिस्ट्रीकरण की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें
9.	वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान संदत्त	कर विवरणी संलग्न करें
	सेवा कर	
10.	वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए वितीय	सी.ए. द्वारा प्रमाणित वितीय विवरणी और
	आवर्त और आयकर विवरणियां	आयकर विवरणियों की प्रति संलग्न करें
11.	अभिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत यानों की संख्या	यानों की संख्या, आर.सी. संख्यांक और तारीख
		सहित संलग्न करें
12.	पिछले दो वर्षों में निपटाई गई प्रमुख संविदाओं के	'च' पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार संलग्न करें
	ब्यौरे	
13.	उस संगठन से, जिसे सेवा प्रदान की गई थी,	उन संगठनों से, जिन्हें सेवा प्रदान की गई है,
	संतोषजनक कार्य प्रदर्शन का प्रमाणपत्र	प्राप्त प्रशंसा पत्रों की अधिप्रमाणित प्रतियां संलग्न
		करें।
14.	यह प्रमाणपत्र कि अभिकरण को काली सूची में नहीं	प्रमाणपत्र संलग्न करें
	डाला गया है	

प्राधिकृत	ट्यक्ति	के	हस्ताक्षर

तारीख:	नाम:
स्थानः	मुद्रा:

<u>घोषणा</u>

1.	में			पुत्री/पुत्री/पत्नी	श्री			, जो	कि
ऊपर	उल्लिखित	एजेन्सी क	ा स्वत्वध	ारी/निदेशक/प्राधि	पेकृत	हस्ताक्षरी	हूं, इस	घोषणा	पर
हस्ता	क्षर करने अ	ोर इस निविद	प्त दस्तावेज	न को निष्पादित	करने	के लिए स	तम हूं;		
2.	मैंने निवित	द्रा के सभी वि	नेबंधनों औ	र शर्ती को सावध	ग्रानीपू	्रवंक पढ़ औ	र समझा	लिया हे	और
मैं उन	का पालन व	करने का वच	न देता हूं;						
3.	उपर्युक्त ३	भावेदन में दी	गई जान	कारी/प्रस्तुत दस्त	नावेज	मेरे सर्वोत्त	ाम ज्ञान	और विश	≀वास
के अ	नुसार सही	और प्रमाणि	त है। मुङ्	में /हमें /इस तथ्य	की	जानकारी है	है कि को	ई मिथ्य	П
जानक	गरी/जाली व	इस्तावेज प्रस्त	नुत करने	के परिणामस्वरूप	र सम्	मुचित विधि	के अधीन	न अभियं	ोजन
मद्धे ट	ायित्वों के	अतिरिक्त मेर्र	ो निविदा	किसी प्रक्रम पर	अस्वी	कार की जा	सकती है	5	
4.	मैं निविदा	दस्तावेजों व	में दिए ग	र निबंधनों और	शर्तीं	के अनुसार	कार्य क	रने के र	नाथ-
साथ	एल-1 दरों प	ार कार्य करने	का वचन	देता हूं ।					
						प्राधिद	मृत व्यक्ति	के हस्त	गक्षर
								पूरा	नाम
तारीख	Γ:								
स्थान									

छ. <u>वितीय बोली के लिए प्रोफार्</u>मा

अनुसुची: दिल्ली/नई दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

मासिक आधार पर टैक्सियों की दरें (सेवा कर, पार्किंग और पथकर प्रभार को छोड़कर इसके अन्तर्गत सभी कर और उदग्रहण शामिल हैं)।

वर्ग	मेक	प्रतिमास प्रति यान को न्यूनतम	प्रतिमास प्रतियान को न्यूनतम 3000
	(वातानुकूलित यान)	2500 किलो मीटर/300 घंटों के	कि.मी./360 घंटों के लिए किराए पर लेने
		लिए किराए पर लेने के लिए/	के लिए/प्रतियान मासिक दरें।
		प्रतियान मासिक दरें	
1	2	3	
I	मारूति डिजायर		
	टोयोटा इटीओस		
	होंडा एमेज		
П	होंडा सिटी मारूति		
	सिआज़ हूंडई वरना		
	.,		
III	अतिरिक्त प्रति कि.मी.		
	की दरें		
IV	अतिरिक्त प्रति घंटे की		
	दरें		
V	11.00 बजे अपराह्न से		
	5.00 बजे पूर्वाह्न तक		
	रात्रि प्रभार		
VI	परस्थान प्रभार		

- 1. राष्ट्रीय महिला आयोग की आवश्यकतानुसार यानों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
- 2. न्यूनतम मासिक विहित दर से परे अतिरिक्त प्रति कि.मी. दर आनुपातिक आधार पर निर्धारित की जाएगी।
- 3. सभी संबंधित व्यक्ति यह नोट कर लें कि इस निविदा प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए इस कार्यालय ने जानबूझकर यान का उपयोग करने के न्यूनतम/अधिकतम घंटों को विनिर्दिष्ट नहीं किया है। चूंकि यानों को 24x7 के आधार पर किराए पर लिया जा रहा है, किसी मास में 2500 कि.मी. से परे यात्रा के अतिरिक्त किलोमीटर के अनुसार इस कार्यालय द्वारा चालकों को अनुन्तेय अतिकालिक भत्तों का संदाय किया जाएगा। आनुपातिक आधार पर संदाय किया जाएगा।
- 4. किसी कठिनाई की दशा में, एल 1 का विनिश्चय निम्नलिखित के औसत को लेकर किया जाएगा:-
- । (मारूति डिजायर, टोयोटा इटियोस, होंडा एमेज़) और
- ॥ होंडा सिटी, मारूति सिआज़ और हूंडाई वरना को क्रमश: 25% और 75% अधिमानता दी जाएगी।

ज. संदाय के निबन्धन

- कार्य प्रदान करने के आदेश के आधार पर न तो अग्रिम संदाय किया जाएगा ओर न ही किसी बैंक या वितीय संस्था से किसी ऋण की सिफारिश की जाएगी।
- 2. सेवा प्रदाता, पूर्व मास की बाबत आगामी मास के प्रथम सप्ताह में बिल की रकम की मंजूरी के लिए और संदाय के लिए बिल के स्वीकरण के लिए, बिल प्रस्तुत करेगा।
- 3. सभी संदाय केवल ई.सी.एस. द्वारा किए जाएगें (अर्थात इलेक्ट्रानिक विघा द्वारा सीधे उनके बैंक खाते में जमा किए जाएगें)
- 4. राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय शस्तियां, यदि कोई हैं, की वसूली के प्रयोजन के लिए पूर्णतः या भागतः संदाय को रोकने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 5. इस पैरा में उल्लिखित 'संदाय' पद के अन्तर्गत इस संविदा के कारण सेवा प्रदाता को उद्भूत होने वाले शोध्य का सभी प्रकार का संदाय है किन्तु अग्रिम जमा और प्रतिभूति निक्षेप को छोड़कर क्योंकि वे संविदा के अलग खंडों द्वारा शासित होते हैं।
- 6. संविदा की अनुसूची के अनुसार सभी संदाय, जहां कहीं लागू होते हैं, किए जाएगें।

CONTENTS OF TENDER DOCUMENT

S.No.	Description of contents			
1.	Tender Notice			
2.	A. Scope of work and general instructions for tenderer			
3.	B. Terms and Conditions			
4.	C. Penalty Clause			
5.	D. Technical qualification criteria			
6.	E. Details of major contract for three years.			
7.	F. Proforma for Technical Bid			
8.	G. Proforma for Financial Bid			
9.	H. Terms of payment.			

F.No.1/26(4)2010-NCW(A)-Pt. National Commission for Women Plot No. 21 Jasola Institutional Area New Delhi 110025.

03 September, 2017

TENDER NOTICE

Subject: Tender Notice for hiring of DLY Taxi - bids for providing taxi services in the NCW, New Delhi.

Quotations are invited under the Two bids System i.e., (Part-I Technical Bid and Part-II Financial Bid) from reputed, experienced and financially sound Taxi service providers to provide the services of rental cars on monthly basis to NCW for use in New Delhi and NCR. The contract will initially be for a period of 12 (twelve) months which may be extended further depending on review of performance of the successful bidder and requirement and administrative convenience of NCW. The quantum of requirement of vehicles is tentatively three (03) on a regular basis which may increase or decrease depending on the requirements of this Department.

- 2. The Technical and Financial Bid formats in which the bids are to be submitted are enclosed. The rates are to be quoted in Indian Rupees. The Earnest Money Deposit (EMD) of Rs.40,000/- (Rupees forty thousand only) by way of demand draft/bankers cheque in favour of Pay & Accounts Officer, National Commission for Women, payable at New Delhi must be submitted in original.
- 3. All the required documents in support of the prescribed/declared eligibility criteria are also to be submitted along with the bid documents. The bidders are advised, in their own interest, to submit the desired papers/documents with their bids as per the specifications indicated in the Proforma attached with this tender notice, failing which their bids may be declared non-responsive. List of such documents is enclosed.
- 4. The last date and time for submission of bids is 11.10.2017 (up to 3.00 p.m.). Bids, as submitted, shall be opened at 04.00 p.m. on the same day by the duly constituted Tender Opening Committee. The representative of firms/agencies/companies who wish to be present to view the Tender Opening process would be allowed to do so. The Technical bids shall be evaluated by a Tender Evaluation Committee constituted for the purpose by this office. Pre-bid meeting is scheduled to be held on 10.10.2017 at 4.00 p.m. in the office of NCW to discuss the modalities involved. The interested bidders may participate in the same.
- 5. The Competent Authority in the NCW, reserves the right to cancel the tendering process at any time/stage or relax/amend/withdraw any of the terms and conditions contained in the Tender documents without assigning any reason thereof. No inquiry, after submission of the quotation, shall be entertained. In case of withdrawal of the bid by any bidder at any stage, the EMD shall stand forfeited, without any further notice/correspondence.
- 6. The Terms & Conditions of the tender are duly explained at point B of Content of Tender Document.
- 7. Complete tender documents may be downloaded from the website of Central Public Procurement Portal (http://eprocure.gov.in) or website of the NCW www.ncw.nic.in. Information on any issue of corrigendum related to this tender will be available on the above referred two websites.

Sd/-(R. C. Ahuja) Under Secretary Tel. No. 011-26944890.

A. SCOPE OF WORK AND GENERAL INSTRUCTIONS FOR BIDDERS

- 1. NCW, situated at Plot no 21, Institutional Area, Jasola, New Delhi, require the services of reputed well established and financially sound taxi service providers (hereinafter referred to as "Service providers") to provide rental taxi services on monthly basis for journeys within Delhi & NCR and at times adjoining areas.
- 2. The contract shall be valid for a period of 12 (twelve) months from the date of letter awarding the contract, which can be extended as may be decided by the competent authority, after review of performance of the successful bidder.
- 3. The bidders have to submit their technical and financial bids as per the proforma given alongwith the tender documents. The rates are to be quoted in Indian Rupees. The financial instrument of the payment of the Earnest Money Deposit (EMD) in original of Rs.40,000/- (Rupees forty thousand only) by way of demand draft/bankers cheque in favour of Pay & Accounts Officer, National Commission for Women, payable at New Delhi, must be submitted with the bids. The EMD shall not carry any interest.
- 4. The successful bidders will have to deposit Performance Security Deposit of Rs.1,50,000/- (Rupees one lakh fifty thousand only) in the form of Fixed Deposit Receipt (FDR) made in the name of the Agency and hypothecated to the Pay & Accounts Officer, NCW, New Delhi/Bank Guarantee, covering the period of contract. The performance security should remain valid for a period of sixty days beyond the date of cessation of the contract. In case, the contract is further extended beyond the initial period, the performance security will have to be accordingly renewed by the successful bidder.
- 5. Conditional bids shall not be considered and will be out-rightly rejected.
- 6. All entries in the bids should be legible and filled-in clearly. If the space for furnishing information is insufficient, a separate sheet duly signed by the authorized signatory may be attached. No overwriting or defacing is permitted in the Financial Bid Form. In no case should there be any change in the format of any of the bids. In such cases, the bids submitted shall be summarily rejected. However, the cuttings, if any, in the Technical Bid Application must be attested by the person authorized to sign the tender bids.
- 7. In case of partnership firms, a copy of the partnership agreement or general power of attorney duly attested by a Notary Public should be furnished on stamped paper duly sworn or affirmed by all the partners admitting execution of the partnership agreement or

the general power of attorney. The attested copy of the certificate of registration of firm should also be enclosed along-with the tender alongwith the name of authorized partner/authorized official to interact with NCW.

- 8. Each page of the tender document as well as annexures should be signed by the bidder or by the authorized signatory with seal of the service provider.
- 9. The bids shall be opened on the scheduled date and time (<u>i.e. 04.00 p.m. on 11/10/2017</u>), in the commission's office in the presence of the representatives, if any, who wish to be present at the time of opening the tender. Pre-bid meeting is scheduled to be held on 10.10.2017 at 4.00 p.m. in the office of NCW to discuss the modalities involved. The interested bidders may participate in the same.
- 10. The financial bids of only those bidders will be opened who qualify in the technical bid stage. If the financial bids cannot be opened on the same day, then the scheduled time and venue for opening the financial bids will be communicated to only those bidding agencies/firms who qualify in the technical bid process.
- 11. The bidding firm has to give a self-attested certificate that it has not been blacklisted by any Central Government/Department/PSUs/Banks etc. If it is subsequently found out that the bidding firm has given false information or facts or has suppressed facts or manipulated the documents, etc., then the earnest money will be forfeited and no excuse whatsoever will be entertained in support of any such action on the part of the bidder.
- 12. No bidding firm will be allowed to withdraw its bids after technical bids have been opened. If any firm intends to withdraw after opening of technical bids, its EMD will be forfeited.
- 13. If, after the award of the contract, the successful bidder (L1) fails to provide required number of vehicles/taxis, the contract is liable to be cancelled alongwith forfeiture of performance security and other consequential penal actions such as blacklisting as deemed appropriate.

B. TERMS AND CONDITIONS

1. The contract shall be valid for a period of 12 (twelve) months from the date of letter awarding the contract, which can be further extended for such period as may be decided by the competent authority, but not more than 12 (twelve) months after review of performance of the firm.

- 2. The contract can be closed on account of unsatisfactory services on due review of the performance by the Competent Authority in NCW. The unsatisfactory service shall mean and include non-compliance and non-fulfillment of any of the contractual obligations by the service provider and/or poor performance and violation of any of the terms and conditions of the tender/contract and failure on its part to correct the discrepancies/shortcomings brought to its notice in writing by Incharge, NCW. This provision may be attracted even when the successful bidder or any driver under his employment or engaged by him is engaged in any unlawful activity as proven in any court of law or is accused by the police authorities to have been involved in any such activity.
- 3. By virtue of this agreement, no relationship will be created between the drivers provided by the service provider and NCW. It will be the sole responsibility of the service provider to pay salary and other perks to its drivers and no complaints by any of its drivers in this regard will be entertained by this Department. If any such driver creates any nuisance which makes him unworthy of trust of this office in the opinion of the competent authority in this office, the service providers may be requested to withdraw that driver from this office.
- 4. The agreement can be terminated earlier by giving one month's written notice on NCW side without assigning any reason and three months notice on the side of Service Provider and the decision of the Competent Authority shall be binding on the service provider. No claims for compensation of loss/revenues due to such decision shall be entertained.
- 5. All the vehicles to be provided by the successful bidder should be of 2016 or newer make and should be owned by the contractor/agency and mechanically sound and should have decent interiors with other necessary accessories as defined in the contract.
- 6. The quoted rates will be all inclusive and no other charges will be paid extra except for the parking charge/toll road charges paid for official duty on production of original parking/toll coupons.
- 7. The services shall be provided on 24x7 basis.

- 8. The mileage for the purpose of "vehicle run" and "hours of duty" shall be reckoned from NCW/place of duty (if assigned on the previous day or if there is a standing order as regards the place of duty).
- 9. No mileage will be allowed to drivers for lunch/breakfast or for filling of fuel in the vehicle.
- 10. The average running of vehicles may, at times exceed the prescribed limit of kilometers in a month. However, the number of kilometers for a vehicle hired on a monthly basis will be calculated only on the monthly basis (i.e., by comparing it with the monthly ceiling as given in this document).
- 11. The firm will ensure that the fuel tank of vehicle provided is fully filled up before sending the vehicle for duty.
- 12. The firm will ensure that all drivers have live mobile phone connections so that they can be contacted whenever required.
- 13. The driver provided by the firm should be well mannered, courteous and polite to officers, especially with whom he is attached for duty at any point of time. He should be well acquainted with the entire NCR area, punctual, with name badge, with valid driving license; he should also have neat and clean uniform. The driver should not smoke or drink while on duty and should not play card, etc. during idle time.
- 14. The vehicles supplied by the firm to NCW, should be having all necessary permits to run in NCR area i.e. NOIDA, Ghaziabad, Faridabad and Gurgaon, etc. A detailed map book of NCR area should be kept in every car.
- 15. The service provider should maintain the vehicles provided to NCW in mechanically sound position and strictly in accordance with the owner's manual issued by the manufacturer of the vehicle so that safety and security is ensured at all times. This office reserves the right to ask for documentary evidence in this regard and, if so demanded, the servicing/maintenance would be judged as per owner's manual. In case, there is any point of debate on any technical issue in this matter, this office may get the vehicle checked for compliance at the workshop of

the Airport Authority of India for which the cost would be borne by this office, if necessary.

- 16. During the periodical maintenance of any vehicle, contractor/service provider shall provide a standby vehicle of same make & year. The same holds in case a driver is on leave/ absent from duty for some reason or other.
- 17. Each of the vehicles thus hired shall always carry first aid box and mandatory spares, viz toilet kit, fuses, spark plugs, belts, fire extinguisher, torch, umbrella, etc.
- 18. The contractor/service provider shall be responsible for complying with obligations under Income Tax, ESI, PF, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, Minimum Wages Act, Labour Laws, etc., and damages to the third party arising out of accidents, etc., caused by any of the vehicles thus hired from the service provider. Further, the firm shall also be responsible for timely payment of wages, etc., directly to the drivers as per prevailing rate under the extant provisions of Act/Order of the NCT of Delhi in force. If any dispute arises between the firm and his driver in the matter of wages or their service condition, the same will be settled amicably between the contractor and the drivers engaged by them. NCW will not be a party to any dispute in any case.
- 19. That the contractor/service provider would be responsible for complying with all statutory/legal obligations is a contractual obligation on the part of the contractor/service provider and if any breach of the same comes to the notice of this department, then the contract may be terminated by this office on that ground alone by giving notice for a suitable period.
- 20. The contractor/service provider shall be responsible for all litigation arising out of the non-payment of road tax, service tax, etc., and other dues to the appropriate authority and also for the payment of compensation to drivers and any other involved parties in the event of death/injuries/damages arising out of accidents and due to various other causes etc.
 - 21. It will be the responsibility of the Service provider to comply with all statutory obligations on his part arising out of this contract.

- 22. Bills for supply of vehicle for any month along with duty slips and log books duly signed by the users shall be submitted by the first week of the following month to Incharge, NCW for payment of bills.
- 23. In case any officer so desires, the firm shall provide roof carrier on any such car detailed with the concerned officer for duty.
- 24. In case of dispute of any kind, the firm shall abide by the decision of the Competent Authority, NCW. In case, the dispute is required to be referred to Arbitration, it shall be referred to sole arbitrator under Arbitration and Conciliation Act, 1996. Further, any controversy or dispute arising out of this contract shall be referred to the Joint Secretary or to any officer nominated by him/her. There shall be no bar to the reference of dispute to the arbitration by such officer as nominated by the competent authority even though the said officer, as an employee of the NCW, New Delhi, might have dealt with the matter earlier or expressed his opinion thereon. In case the arbitrator to whom the matter is originally referred to earlier is transferred or vacates his office or is unable to act for any reasons, the Joint Secretary level officer dealing with General Administration in this department shall be competent to appoint another person as arbitrator, who shall be entitled to proceed with the reference, from the stage at which it was left by his predecessor. No person other than the one nominated by the Joint Secretary shall act as arbitrator. The decision of the Joint Secretary or the officer nominated by him shall be final and binding on the party/parties. The arbitration proceedings shall be held at an appropriate location in Delhi/New Delhi. The limitation for filling claim for arbitration is 180 days from the expiry of the contract period and in case no claim is filed within this period, it shall be presumed that there is no claim. The place of settlement of disputes shall be Delhi. For the purpose of settlement of disputes in the Court of Law, it will be under the jurisdiction of the Courts in Delhi.
- 25. The service provider shall be responsible for keeping the vehicles duly insured in compliance of the provisions of Motor Vehicle Act. The service provider shall also be responsible for getting the Pollution Under Control (PUC) Certificate for every vehicle hired by NCW.
- 26. The service provider shall also be responsible for compliance of the legal provision in respect of the vehicle and shall indemnify the department for any loss on the account.

- 27. The vehicles will have to be fitted /provided with the following mandatory additional accessories/utilities.
 - 1. Clean seat covers
 - 2. Quality radio music system
 - 3. Reading lamp
 - 4. Tissue paper box
 - 5. Car perfume
 - 6. Mobile charger
 - 7. Seat Belts (Front/Rear)
 - 8. Umbrella during Monsoon.
 - 9. First aid kit
 - 10. Fire extinguisher
- 28. Firms should have sufficient number of drivers having the experience of driving in Delhi and in NCR. The firm shall provide complete particulars of the drivers and copy of the registration certificate (RC) of the vehicles provided.
- 29. A declaration on the printed letter-head of the firm, stating inter-alia that the drivers provided are of good character, duly verified by Delhi Police from security angle and have a valid driving license and are well conversant with the roads of Delhi and NCR should be provided to the Incharge, NCW.
- 30. The firm should have an adequate number of telephone connections so that they can be contacted round the clock and the numbers of the same may be given to Incharge, NCW.
- 31. The firm should have a provision to take bookings 24 x 7.
- 32. A daily record indicating time and mileage for each vehicle shall be maintained by the driver in a log book in a format as per government instructions and the log book shall be submitted to the concerned officer in NCW regularly for scrutiny.
- 33. The successful firms/agency shall not deploy any of the taxis provided/attached to the NCW or its attached offices in Delhi for any commercial purpose after duty hours or on holidays.

- 34. The agency shall ensure that the odometer of car supplied is properly sealed so that no tampering is done with a view to inflate distance traveled. In this regard, they should obtain and produce at the time of verification of log book, a certificate from the competent Motor Vehicle Authority.
- 35. The authorized officer of this Department may conduct a surprise checking of odometer of the car supplied from any workshop and cost thereof will be borne by the agency.
- 36. The number of vehicles under its ownership that the successful bidder would declare as intending to provided on rent to NCW in the technical bid would be considered as a contractual obligation on the part of the successful bidder and any violation of that would be considered as an offence under the Penalty Clause (Sl.No.8 being applicable for every such vehicle not under its ownership being provided on rent for service for every single day).
- 37. The driver and vehicle provided to NCW by the firm should not be changed without prior permission.

C. PENALTY CLAUSE

Penalty will be levied, for the violation of terms & conditions of the contract in the

following manner: (Amount in Rs.)

	wing manner:		(Amount	III IXS.)	1	1
Sl.		Penal Amount			Amount	Remarks
No	Violations	per month per car			deducted	
		First	Second	Third	per day	
		Instance	Instance	Instance	per car	
1.	Non functioning of AC					
	in a Car				500/-	
2.	Failure to provide alternative arrangement within one hour of vehicle breakdown	500/-	1000/-	2000/-		Rental charges for the day will also not be paid
3.	Tampering of meter of vehicle	1000/-	2000/-	3000/-		Competent authority has the discretion to terminate the contract alongwith forfeiture of performance security / blacklisting of firm
4.	Irregularities such as overwriting, forged entries etc. in the log book (to be maintained in prescribed format)	1000/-	2000/-	3000/-		do
5.	Usage of attached for private /Commercial purpose in contravention terms & condition.	5000/-				For each such contravention
6.	Changes of driver without prior intimation of NCW & officers to whom vehicle is attached.	500/-				On each occasion
7.	Delay (more than 30 minutes) in reporting for duty by driver/vehicle	500/-	1000/-	2000/-		Rental charges for the day will also not be paid
8.	Non-compliance of any other terms & conditions	1,500/-	2000/-	3000/-		For each violation per vehicle

* * *

D. TECHNICAL BID QUALIFICATION CRITERIA

The bidding Agency/firm must fulfill the following technical specifications in order to be eligible for technical evaluation of the bid described in detail in Section E.

- i. The Office of the service provider/bidder should be located either in Delhi/New Delhi and the proof of address of the office in Delhi/New Delhi would have to be furnished.
- ii. In case of partnership firms, a copy of the partnership agreement, or general power of Attorney duly attested by a Notary Public, should be furnished on stamped paper duly sworn or affirmed by all the partners admitting execution of the partnership agreement or the general power of attorney. The attested copy of the certificate of registration of firm should also be enclosed along with the tender.
- iii. The service providers must have a minimum of three years of experience in supplying hired taxi services to Government Departments /Public Sector Companies/Banks /Central and State Government Departments. Proof of at least one contract relating to supplying of taxi services to Central Government/State Governments/ PSUs/Bank/ in the last three years along with attested copies of the supply order should be enclosed.
- iv. The service providers should have had a minimum annual turnover (billing amount) of Rs. 15 Lakhs each year during last two financial years. A copy of turnover statement duly certified by a Chartered Accountant must be enclosed with the tender document and copy of Income Tax return for the last two years should be submitted.
- v. The service providers should have its own Bank Account. Certified copy of the account maintained for the last two years issued by the Bank, shall be enclosed.
- vi. Self attested copy of the PAN card of the bidding firms shall be attached with the Bid document.
- vii. The service providers should be registered with GST. Certified copy of the registration shall be attached with the Bid document.
- viii. Self Certificates that the firm has not been blacklisted by any Central Government Departments/Ministries/PSUs/Banks, etc. should be enclosed.
 - ix. The vehicles supplied to NCW should be <u>only CNG fuel driven and owned by the contractor/firm</u> with commercial number plates and a self-attested certificate would have to be provided in this regard.

* * *

E. Details of major contracts with Central Government/State Governments/PSUs/ Reputed Private Firms handled by the tendering Agency for providing hiring of taxi services during

the last three years in the following format (attested copies of the last three years' work award may be enclosed):

Sl. No.	Details of client along with address, telephone and FAX numbers	Amount of Contract (Rs. Lakh per year)	Duration o	f Contract
			From	То
1.				
2.				
3.				

(If the space provided is insufficient, a separate sheet may be attached)

F. PROFORMA FOR TECHNICAL BID

	<u>Criteri</u>	<u>a</u>
1	Name of Agency	
2	Nature of the concern: (i.e. Sole Proprietor or Partnership firm or a Company or a Government Department or a Public Sector Organization)	
3	Full Address of Reg. Office Telephone No. FAX No. E-Mail Address	
4	Full address of Operating/ Branch Office in Delhi Telephone No. : FAX No. E-Mail Address	
5	Banker of Agency with full address(Attach Bankers certificate of account maintenance for the last three years) Telephone Number of Banker	
6	Registration No. of the Agency /firm	Attach attested copy of the Registration
7	PAN No	Attach attested copy of the Registration
8	GST Registration No.	Attach attested copy of the Registration
9	Service tax paid during financial year 2014-15 & 2015-16.	Attach Statement of tax details
10	Financial turnover and I.T returns of the Agency for <u>financial year 2014-15 & 2015-16.</u>	Attach financial statement certified by the CA and copy of I.T returns
11	Number of Vehicles registered with the agency.	Attach list of vehicles with the RC number and date.
12	Details of major contracts handled in last two years	Attach as per format at F
13	Certificate of satisfactory performance from the organization to whom the service was provided.	Attach attested copies of the appreciation letters from the organizations to whom service has been provided.
14.	Certificate- that the agency has not been blacklisted, etc.	Attach Certificate

Signature of authorized person

Date:	Name:
Place:	Seal:

DECLARATION

1. I,	Son/Daughter/Wife of Shri
	Proprietor/Director/authorized signatory of the
Agency mentioned aldocument;	ove, is competent to sign this declaration and execute this tender
2. I have carefully rundertake to abide by	ead and understood all the terms and conditions of the tender and hem;
authentic to the best of furnishing of any fals	comments furnished along with the above application are true and my knowledge and belief. I / we, am / are well aware of the fact that e information / fabricated document would lead to rejection of my des liabilities towards prosecution under appropriate law.
4. I hereby undertake the tender documents.	to work at L1 rates alongwith as per the terms and conditions given in
	Signature of authorized person
Date:	
Place:	Full Name

G. PROFORMA FOR FINANCIAL BID

SCHEDULE: Delhi / New Delhi / NCR area

Rates (including all taxes and levies except service tax, parking and toll charges) of taxis on monthly basis:

mom	ily basis.		
Cate	Make	For Minimum hiring of 2500	
gory	(AC vehicles)	kms/300 hours per vehicle	kms/360 hours per vehicle per
		per month. Monthly rate per	month. Monthly rates per vehicle
		vehicle.	
1	2	3	
	Maruti Dzire		
I	Toyota Etios		
	Honda Amaze		
	Honda City		
II	Maruti Ciaz		
	Hyundai Verna		
III	Rates of extra		
	per km.		
IV	Rates of extra		
	per hour		
V	Night charges		
	11.00 pm. To		
	5.00 pm.		
VI	Outstation		
	charges		

- 1. Number of vehicles required may be changed as per requirement of NCW.
- 2. The extra per kilometer rate beyond the minimum monthly prescribed rate will be arrived on the pro-rata basis, which will be arrived by dividing the quoted rate in column 3 by 2500 Km. for the successful bidder.
- 3. It may please be noted by all concerned that for the purpose of this Tendering process, this office has consciously avoided specifying any number of minimum/maximum hours of vehicle usage. Since the vehicles are being hired on 24X 7 basis, the drivers would be paid over time allowances admissible to them by this office and as per extra kilometer of journey by the vehicles beyond 2500 Kms. in a month. Payment will be made on pro-rata basis.
- 4. The L1, in case of any difficulty, will be decided by taking the average of
 - I (Maruti Dzire, Toyota ETIOS, Honda Amaze) and
 - II Honda City, Maruti Ciaz and Hundai Verna by assigning 25% and 75% weightage, respectively.

H. Terms of payment:

- 1. No payment shall be made in advance nor any loan from any bank or financial institution recommended on the basis of the order of award of work.
- 2. The service provider shall submit the bill in the first week of the following month in respect of previous month for sanction of the amount of bill and passing the bill for payment.
- 3. All payments shall be made by ECS only (i.e. directly to their bank account by electronic mode).
- 4. Office of the NCW shall be at liberty to withhold any payments in full or in part for purpose of recovery of penalties, if any.
- 5. The term 'payment' mentioned in this para includes all types of payment due to the service provider arising on account of this contract excluding Earnest Money and Security Deposit governed by the separate clauses of the contract.
- 6. Wherever applicable all payments will be made as per schedule of as per contract.
